(भले ही वे सरकारी सेवक के साथ रह रहे हो अथवा नहीं) परिवार के सदस्य होंगे।

(ii) सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित विवाहित परन्तु तलाकशुदा/परित्यक्त या पति से पृथक अथवा विधवा पुत्री परिवार के सदस्य माने जायेंगे।

(iii) माता–पिता और/अथवा सौतले माता–पिता जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, को LTC के निमित्त परिवार की परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिये बगैर शामिल किया जायेगा कि वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे है अथवा नहीं। वे सभी माता–पिता और/अथवा सौतले माता–पिता (सौतेले पिता या सौतेली माता) जिनकी सभी स्त्रोतों से कुल आय केन्द्र सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महँगाई राहत से कम है, इस प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में शामिल होंगे।

(iv) सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित माता–पिता अथवा माता पिता के मृत होने पर अविवाहित नाबालिग भाई तथा अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, पति से पृथक, विधवा बहनें (जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हो) परिवार के सदस्य माने जायेंगे।

(घ) LTC से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2668/वि० दिनांक 04.08.2009 एवं संकल्प संख्या 1508/वि०, दिनांक 18.06.2013 के द्वारा लागू संशोधित दर प्रभावी होंगे, किन्तु LTC के प्रयोजनार्थ वायुयान से यात्रा उसी शर्त्त पर अनुमान्य होगी, कि संबंधित कर्मी के लिए अनुमान्य श्रेणी के दर पर ही भुगतान किया जायेगा, अन्तर की राशि उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(ड़) वैसे स्थान, जहाँ पर सड़क एवं रेल मार्ग से यात्रा संभव नहीं हो वहाँ पर हवाई जहाज द्वारा न्यूनतम बिन्दु से Economy Class में यात्रा की जा सकेगी अथवा स्टीमर से निम्नरूपेण अनुमान्य श्रेणी में यात्रा की जा सकेगी।

Pay Range (Grade Pay)	Entitlement of class of accommodation
Officers drawing Grade pay of Rs 5400 and above	First / 'A' Cabin Class
Grade Pay Rs. 4200/- and above, but less than Rs. 5400/-	Second/ 'B' Cabin Class
Grade Pay less than Rs. 4200/-	Bunk Class